भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2111
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2026

उपग्रह-आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं का शुभारंभ

2111. **श्री एस. कल्याणसुन्दरम:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में उपग्रह-आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं आरंभ करने हेतु मंज़ूरी प्रदान की है;
(ख) उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं को मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना के साथ एकीकृत करने के लिए क्या रूपरेखा अपनाई गई है; और
(ग) इसके संभावित लाभों, कार्यान्वयन की समय-सीमा और अल्पसेवित क्षेत्रों में वहनीय ब्रॉडबैंड पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अन्य बातों के साथ-साथ देश में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन कंपनियों नामत: वनवेब इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड और स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा प्राधिकार के साथ एकीकृत लाइसेंस (यूएल) प्रदान किया है।
लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारकों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करना आवश्यक स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ-साथ निर्धारित सुरक्षा और तकनीकी शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन है।

दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने के नियमों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया है। दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अधिसूचित सेवा प्राधिकार ढांचा प्रौद्योगिकी तटस्थ है और प्राधिकृत इकाईयों को उपग्रह नेटवर्क सहित किसी भी तकनीक का उपयोग करके दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है।

उपग्रह-आधारित संचार सेवाएं दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों सहित ग्रामीण, अल्पसेवित और सेवा से वंचित क्षेत्रों में वहनीय कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं, जिन्हें अन्यथा ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव आदि जैसे स्थलीय मीडिया के माध्यम से कवर करना मुश्किल होता है।

******